पत्र संख्या-कम्प्यूटर-ई-रिटर्न-(2010-11)/ 965 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
दिनांक // लखनऊ // फरवरी, 08, 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर /
ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक) /
ज्वा0कमि0(कारपोरेट) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

आप सभी अवगत हैं कि विभाग में कम्प्यूट्राइजेशन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जा रहा है। विभागीय प्रक्रियाओं के सुगमता पूर्वक संचालन एवं विभिन्न अवयवों के अनुश्रवण हेतु बेहतर व्यवस्था बनाने के लिये तथा पंजीकृत व्यापारियों / डीलरों को बेहतर सुविधायें प्रदान करने के लिये आन लाइन सेवाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। उक्त के क्रम में दिनांक 02-02-2011 को विभागीय मंत्री जी द्वारा कम्प्यूट्राइजेशन से सम्बन्धित निम्न सुविधाओं का शुभारम्भ किया गया तथा कतिपय बिन्दुओं पर निर्णय लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये।

2- विभाग द्वारा दिनॉक 02-02-2011 से नये व्यापारियों की आन लाइन रजिस्ट्रेशन (ई-रजिस्ट्रेशन) की सुविधा आरम्भ कर दी गयी है। इस सुविधा के माध्यम से व्यापारी द्वारा अहर्निश 24X7 पंजीयन का आवेदन प्रेषित किया जा सकता है। प्राप्त आवेदन को विभिन्न लोकेशन्स पर नामित एडमिनिस्ट्रेटर के माध्यम से लोकल साफ्टवेयर व्यास (VYAS) से संचालित किया जायेगा। ई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में Hearing तथा सर्वे की प्रक्रिया यथावत रहेगी। सम्पूर्ण प्रक्रिया के सम्बन्ध में विस्तृत ई-मेल दिनॉक 03-02-2011 को एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड के साथ जोनल एडीशनल कमिश्नर की ई-मेल आई0डी0 पर प्रेषित किया जा चुका है।

3- विभाग द्वारा NIC के SMS गेटवे के माध्यम से विभिन्न आन लाइन सेवाओं के लिए SMS की सुविधा आरम्भ कर दी गयी है। कोई भी व्यापारी जो वैट, ई-पेमेन्ट के माध्यम से जमा करेगा उसे SMS के माध्यम से पेमेण्ट प्राप्त होने की सूचना प्रदान की जायेगी। इसके अतिरिक्त ई-रिर्टन में डाटा सर्वर पर पोर्ट होने पर तथा फार्म-38 के डाउन लोड करते ही एस0एम0एस0 के माध्यम से confirmation किया जा सकेगा। उपरोक्त SMS सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए व्यापारी द्वारा मोबाइल नम्बर विभागीय वेबसाइट पर दिये गये रजिस्ट्रेशन फार्म पर अपडेट कराया जाना आवश्यक है।

4- विभाग द्वारा पंजीकृत व्यापारियों को ई-रिटर्न फाइलिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में रू0 50 लाख वार्षिक टर्नओवर से अधिक के व्यापारियों के लिए ई-रिटर्न अनिवार्य किया गया है। इससे कम टर्नओवर के व्यापारियों के लिए यह सुविधा दिनॉक 31-03-2011 को अन्त होने वाले त्रैमास का रिटर्न दाखिल किये जाने तक वैकल्पिक रहेगी, किन्तु दिनॉक 30-06-2011 के पश्चात दाखिल किये जाने वाले रिटर्नों के लिये सभी व्यापारियों को ई-रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होगा। दिनॉक 30-06-2011 के पूर्व कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा ऐसे समस्त कार्यों, जैसे विभागीय फार्म की प्राप्ति, कर निर्धारण कार्य, बकाया प्रमाण पत्र आदि, जिसके लियें व्यापारी कार्यालय में उपस्थित होता है, के समय व्यापारी को ई-रिटर्न फाइल करने हेतु स्मरण कराया जायेगा। इसके अतिरिक्त पंजीयन प्रकोष्ठ के अधिकारियों द्वारा भी नये पंजीकृत व्यापारियों को आन-लाइन सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया जायेगा।

क्र0पृष्ठ-2 पर

5- विभागीय कम्प्यूट्राइजेशन को त्वरित गति प्रदान करने तथा फील्ड स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रत्येक जोन में दो ई-चैम्पियन्स की नियुक्ति की गयी है। ई-चैम्पियन का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अपने जोन से सम्बन्धित अधिकारियों व कर्मचारियों को विभाग द्वारा आरम्भ की गयी नई सेवाओं के विषय में अवगत करायेगे तथा साफ्टवेयर प्रक्रियाओं के सम्बन्ध में सम्यक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जिससे विभिन्न सेवाओं को सफलतापूर्वक संचालित किया जा सके। इसके अतिरिक्त ई-चैम्पियन अपने जोन से सम्बन्धित व्यापारियों को भी समय-समय पर आयोजित वर्कशाप तथा कैम्प के माध्यम से प्रशिक्षित करेंगे तथा उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कुल मिलाकर ई-चैम्पियन विभाग द्वारा कम्प्यूट्राइजेशन के सम्बन्ध लिये गये निर्णय को फील्ड में मूर्तरुप देने के लिये जिम्मेदार होंगे।

6- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नरों का यह दायित्व होगा कि प्रस्तर-2 में उल्लिखित कार्यो के लिये समस्त कर निर्धारण अधिकारियों तथा पंजीयन प्रकोष्ठ अधिकारियों को निर्देशित करेगें तथा उनकी आवश्यकतानुसार सम्यक प्रशिक्षण प्रदान कराना सुनिश्चित करेंगें एवं यथावश्यकता समन्वय का कार्य करेगें। ई-चैम्पियन के द्वारा अधिकारियों, कर्मचारियों तथा व्यापारियों को दिये जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा नियमित रुप से अनुश्रवण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वह समय-समय पर व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित कर उनको आनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने के सम्बन्ध में प्रेरित करेंगे जिससे citizen centric सेवाओं के शत प्रतिशत कम्प्यूट्राइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

उपरोक्त निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये।

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।